

SOUTH CENTRAL RAILWAY

SC DIVISION – ALERT ADVICE No. 08/2025

No.sfy-12/SC/AA-08/2025

Date: 16.05.2025

Sub: –Prevention of Fire Accidents – Precautions

All possible steps shall be taken by Railway staff to save life and property of travelling public, to prevent fire from spreading and to extinguish it. In case the fire is on or adjacent to any electrical equipment, the affected part immediately isolated from its source of supply of electrical energy. Fire causes destruction, damage to property and disruption to rail traffic apart from causing loss of life and injuries to passengers.

It is the duty of every railway Officer and Supervisor to ensure through periodical inspection of Installations, Offices, Shops and Rolling-Stock under his control are, Well protected against risk of fire, well equipped with fire-fighting equipment, staffs are well trained and fire-fighting appliances are properly maintained to fight the fires. Accumulation of debris and rubbish near Offices, workshops and installations should never be permitted even from the point of view of cleanliness because these are responsible for most of the fire.

Station Masters, Commercial staff, Loco pilots & Guards:

- On getting the information of fire, ensure that controller is advised of the actual position and assistance required.
- In case of passenger coach on fire, local fire brigades to be promptly arranged.
- All officers /supervisors of various disciplines available at the station to be informed. Medical aid to be promptly arranged in case of passenger coach on fire or when any injury reported. Do not permit any train on the adjacent track.
- OHE supply to be cut off advising TPC directly.
- Ensure adequate availability of fire extinguishers/ fire buckets at Stations, Goods Sheds, Parcel Offices, Brake Vans and Locos.
- Prohibit use of live beedi/cigarettes in compartment/coaches or outside, particularly in sidings/depots handling explosives, inflammable combustible articles on carriage.
- Check carriage of Gas cylinder, fire woods and dry grass/inflammables /combustibles/ crackers etc., in passenger carrying compartments.
- Check carriage of gas cylinders, explosive materials, crackers, other inflammables etc., by passengers.
- Steps to be taken to curb entry of unauthorized passengers in the sleeper and other reserved coaches.
- Pay special attention to oil tank wagons especially for leakages while taking charge of train
- Station staff to ensure that updated telephone numbers (landline + mobile) of fire stations/Fire Brigade Officials are available, tested at periodical frequency along with the record of status of the check and also exhibited in the SM office.
- Check the luggage and parcels for inflammable materials before loading in SLRs.
- After completion of the loading, Guard must ensure that all the lights in the luggage portion of the SLR are switched off to eliminate possibility of short circuiting.
- Doors/windows of empty coaches booked for POH shall be closed, bolted and locked.
- Commercial supervisors to ensure that proper precautions are taken while stocking combustible material in Goods shed/commercial plots. Conduct surprise checks on clubbing of commodities which may lead to chemical reactions and passenger carrying trains for luggage/parcels.
- Parcel supervisors shall ensure that two wheeler motor bikes when offered for transport by rail, the petrol tank is emptied totally.
- Adequate space must be left between roof and the top layer of the packages loaded in the SLRs including the private parties/lease holders.

- Parcel staff shall ensure that hamals(labour) shall not smoke or light a cigarette/ beedi while loading/unloading parcels.
- Ensure plastic seals are provided in place of led seals for tank wagons.
- Catering service moving trolleys on PF should not be allowed with burning gas stoves/sigris.

In the event of a Vehicle on a Train, being on Fire

- Stop the train immediately, do not panic.
- Evacuate the passengers from the burning coaches, protect property, valuables & mails.
- Isolate the burning vehicle from other vehicle by uncoupling.
- Locate the fire extinguishing substances viz. water bucket with water/sand, fire extinguishers etc;
- Use the fire extinguisher if available and put off the fire.
- Use water from the coaches and extinguish the fire.
- Train to be protected by LP& Guard at both ends according to the provision of GR 6.03.
- Report it to the nearest station/control/fire station.
- Every effort shall be made to extinguish the fire and to save the wagon labels, seals and the contents of the vehicle. Throw earth or sand, if available on the fire.
- Inform all concerned to assist in extinguishing the fire;

Train Examiners/Electrical Staff:

- Availability of adequate fire extinguishers in working order at air -conditioned coaches, pantry cars and locomotives.
- Ensure that staff are trained to use the fire extinguishers.
- Adequate and proper maintenance of electric devices, wiring systems and junction boxes etc., in the coaches as per laid down norms.
- Proper insulation and fuses of proper sizes to be used in electrical fittings.
- Ensure that electrical junction boxes should be covered in pantry cars.
- Ensure that exhaust fans are in working condition.
- Proper storage /handling of gas cylinders in pantry cars/base kitchen.
- Regular maintenance /checking of gas cylinders, electrical fittings/ equipments.
- Doors/windows of empty coaches booked for POH shall be closed bolted and locked.
- Ensure proper functioning of vestibules between the coaches and avoid accumulation of garbage at the vestibules and in pantry cars.
- Ensuring the path ways and doors in the coaches are not blocked with luggage etc., and see that there is free movement of passengers.
- Ensure full watering of all passenger coaches, ACP apparatus is functioning properly, emergency windows are properly working and small hammer is available in glass ceiling pocket in AC coaches.
- Display fire related posters/stickers in all the coaches.

Security staff:

- Improve and strengthen security arrangements at stations and in trains towards the dangers posed by anti-social elements.
- Prevent entry of unauthorized persons at originating destination stations before and after placement of rakes in maintenance siding.
- Ensure that combustible material is stocked away from the residential areas.
- Ensure that smoking is not taking place in banned locations.
- Inflammable items e.g. crackers, kerosene oil, Petrol, Gas cylinders etc should not be allowed in passenger coaches and SLRs.
- Ensure that the labour and hawkers are not cooking food using open oven/chullah/stove.

[ए. सुरेश/A. Suresh]
Sr. DSO/SC

Copy to: DRM/SC for kind information.

ADRM/O/SC and ADRM/I/SC for kind information.

All Branch Officers for information and necessary action pl

All Field Supervisors for information and necessary action

दक्षिण मध्य रेलवे

सिकंदराबाद मंडल - चेतावनी सूचना सं. 08/2025

सं.sfy-12/SC/AA-08/2025

दिनांक: 16.05.2025

विषय: - आग की दुर्घटनाओं की रोकथाम - पूर्वोपाय.

रेल कर्मचारियों द्वारा यात्रा करने वाले लोगों की जान और संपत्ति को बचाने, आग को फैलने से रोकने और उसे बुझाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे. यदि आग किसी विद्युत उपकरण पर या उसके आस-पास लगी हो, तो प्रभावित हिस्से को तुरंत विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति के स्रोत से अलग कर दिया जाना चाहिए. आग से जान-माल की हानि और यात्रियों को चोट लगने के अलावा विनाश, संपत्ति को नुकसान और रेल यातायात में व्यवधान होता है.

प्रत्येक रेलवे अधिकारी और पर्यवेक्षक का यह कर्तव्य है कि वह अपने नियंत्रण में प्रतिष्ठानों, कार्यालयों, दुकानों और रोलिंग-स्टॉक का समय-समय पर निरीक्षण करके सुनिश्चित करें कि वे आग के जोखिम से पूरी तरह सुरक्षित हैं, अग्निशमन उपकरणों से सुसज्जित हैं, कर्मचारी अच्छी तरह प्रशिक्षित हैं और आग से लड़ने के लिए अग्निशमन उपकरणों का उचित रखरखाव किया जाता है. कार्यालयों, कारखानों और प्रतिष्ठानों के पास मलबा और कचरा जमा होने की अनुमति कभी नहीं दी जानी चाहिए, यहाँ तक कि सफाई के दृष्टिकोण से भी नहीं, क्योंकि यह आग लगने का सबसे बड़ा कारण भी होते हैं.

स्टेशन मास्टर, वाणिज्य कर्मचारी, लोको पायलट और गार्ड:

- आग की सूचना मिलने पर, सुनिश्चित करें कि नियंत्रक को वास्तविक स्थिति और आवश्यक सहायता के बारे में सूचित किया जाए.
- पैसेंजर कोच में आग लगने के मामले में स्थानीय फायर ब्रिगेड की तुरंत व्यवस्था की जाए.
- स्टेशन पर उपलब्ध विभिन्न अधिकारियों/पर्यवेक्षकों को सूचित किया जाए. पैसेंजर कोच में आग लगने या किसी के घायल होने की सूचना मिलने पर तुरंत चिकित्सा सहायता की व्यवस्था की जाए. निकटवर्ती रेलपथ पर किसी भी गाड़ी को अनुमति न दी जाए.
- टीपीसी को सीधे सूचित करते हुए ओएचई सप्लाय को काट दिया जाए.
- स्टेशनों, गुड्स शेडों, पार्सल कार्यालयों, ब्रेक यानों और लोको में अग्निशमकों/फायर बाल्टियों की पर्याप्त रूप में उपलब्धता सुनिश्चित करें.
- कंपार्टमेंट/कोच के अंदर या बाहर विशेष रूप से साइडिंगों/डिपो में विस्फोटकों, ज्वलनशील दहनशील वस्तुओं को वहन करनेवाले डिब्बे में बीडी/सिगरेट के उपयोग पर प्रतिबंध लगाएं.
- यात्री डिब्बे में गैस सिलेंडर, फायर वुड और सूखी घास/ज्वलनशील पदार्थ/दहनशील पदार्थ/पटाखे आदि की जांच करें.
- यात्री डिब्बे में यात्रियों द्वारा ले जाए जानेवाले गैस सिलेंडरों, विस्फोटक सामग्रियों, पटाखों, अन्य ज्वलनशील वस्तुओं आदि की जांच करें.
- स्लीपर और अन्य आरक्षित डिब्बों में अनधिकृत यात्रियों का प्रवेश रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए.
- गाड़ी का कार्यभार लेते समय ऑइल टैंक वैगनों पर विशेष ध्यान दें, विशेष रूप से रिसावों के लिए.
- स्टेशन स्टाफ को यह सुनिश्चित करना होगा कि फायर स्टेशन/फायर ब्रिगेड अधिकारियों के अद्यतन किए गए टेलीफोन नंबर (लैंडलाइन + मोबाइल) उपलब्ध हों, जांच की स्थिति के रिकॉर्ड के साथ समय-समय पर उनकी जांच की जाए तथा उन्हें स्टेशन मास्टर कार्यालय में भी प्रदर्शित किया जाए.
- एसएलआर में सामान और पार्सलों के लदान से पहले ज्वलनशील सामग्रियों की जांच करें.
- लदान पूरा होने के बाद, गार्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि एसएलआर में लगेज हिस्से में लगी सभी बत्तियां स्विच ऑफ कर दी गयी हैं. लोडिंग पूरी होने के बाद, गार्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि शॉर्ट सर्किट की संभावना को समाप्त करने के लिए एसएलआर के सामान वाले हिस्से की सभी लाइटें बंद कर दी गई हैं.
- पीओएच के लिए बुक किए गए खाली डिब्बों के दरवाजों/खिड़कियों को बंद, बोल्ट और लॉक किया जाएगा.
- वाणिज्य पर्यवेक्षकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गुड्स शेड/कमर्शियल प्लॉट में ज्वलनशील सामग्री को जमा करते समय उचित सावधानी बरती गयी है. उन वस्तुओं की क्लबिंग तथा पैसेंजर गाड़ियों में लगेज/पार्सल की आकस्मिक जांच करें, जिनसे रासायनिक प्रतिक्रिया हो सकती है.
- पार्सल पर्यवेक्षकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि रेल द्वारा परिवहन के लिए प्रस्तुत टू व्हीलर मोटर बाइक के पेट्रोल की टंकी को पूरी तरह खाली किया गया है.
- प्राइवेट पार्टियों/लीज़ धारकों सहित एसएलआर में लोड किए गए पैकेजों की छत और ऊपरी परत के बीच पर्याप्त जगह छोड़ी जानी चाहिए.
- पार्सल स्टाफ यह सुनिश्चित करेगा कि पार्सल के लदान/उतराई के समय हमाल (श्रमिक) धूम्रपान न करें या सिगरेट/बीडी न जलाएं.

- सुनिश्चित करें कि टैंक वैगनों के लिए एलईडी सील के स्थान पर प्लास्टिक सील प्रदान की गई है।
- प्लैटफॉर्मों पर कैटरिंग सर्विस मूविंग ट्रालियों को जलते हुए स्टोव/सिगड़ी के साथ अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

गाड़ी में किसी वाहन में आग लगने की स्थिति में

- गाड़ी को तुरंत रोके, घबराएं नहीं।
- जलते हुए डिब्बों से यात्रियों को बाहर निकालें, संपत्ति, मूल्यवान सामान और डाक को सुरक्षित करें।
- जलते हुए वाहन को दूसरे वाहन से अंकपलिंग करते हुए अलग करें।
- आग बुझाने वाले पदार्थों यथा पानी/रेत से भरी बाल्टी, अग्निशामकों आदि का पता लगाएं;
- यदि उपलब्ध हों तो अग्निशामकों का उपयोग करें और आग बुझाएं।
- डिब्बों से पानी का उपयोग करें और आग बुझाएं।
- सा.नि. 6.03 के अनुसार दोनों छोर पर लोको पायलट और गार्ड द्वारा गाड़ी को सुरक्षित करें।
- निकटतम स्टेशन/नियंत्रण/फायर स्टेशन को रिपोर्ट करें।
- आग बुझाने और वैगन लेबलों, सील और वाहन की वस्तुओं को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। यदि उपलब्ध हो, तो आग पर मिट्टी या रेत डालें।
- आग बुझाने में सहायता हेतु सर्व संबंधित को सूचित करें;

गाड़ी परीक्षक/विद्युत कर्मचारी:

- वातानुकूलित कोचों, पैंट्री कारों और लोकोमोटिवों में कार्य स्थिति में अग्निशामकों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता।
- सुनिश्चित करें कि अग्निशामकों का उपयोग करने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाता है।
- निर्धारित मानदंडों के अनुसार कोचों में विद्युत उपकरणों, वायरिंग सिस्टमों और जंक्शन बक्सों आदि का पर्याप्त और उचित रखरखाव।
- विद्युत फिटिंगों में उचित इन्सुलेशन और उचित आकार के फ्यूजों का उपयोग किया जाए।
- सुनिश्चित करें कि पैंट्री कारों में विद्युत जंक्शन बक्स ढके हुए हैं।
- सुनिश्चित करें कि एग्जॉस्ट फैन कार्य स्थिति में हैं।
- पैंट्री कारों/बेस किचन में गैस सिलेंडरों का उचित संग्रहण/संभलाई।
- गैस सिलेंडरों, विद्युत फिटिंगों/उपस्करों का नियमित रखरखाव/जांच।
- पीओएल के लिए बुक किए गए दरवाजों/खिड़कियों को बंद/बोल्ट और लॉक करना।
- कोचों के बीच वेस्टिबुल का उचित कार्य सुनिश्चित करना और वेस्टिबुल और पैंट्री कारों में कचरा जमा होने से बचना।
- सुनिश्चित करना कि कोचों के मार्ग और दरवाजे लगेज आदि से अवरुद्ध नहीं हैं, और यह देखना चाहिए कि यात्रियों के गमनागमन में कोई बाधा नहीं होती है।
- सुनिश्चित करें कि सभी पैसेंजर कोचों में पानी की पूरी व्यवस्था है, एसीपी उपकरण उचित रूप से काम कर रहा है, इमर्जन्सी विंडो ठीक से काम कर रही हैं और एसी कोचों में ग्लास सीलिंग पॉकेट में छोटा हथौड़ा उपलब्ध है।
- सभी कोचों में आग से संबंधित पोस्टर/स्टिकर प्रदर्शित करें।

सुरक्षा कर्मचारी:

- असामाजिक तत्वों से उत्पन्न खतरों के प्रति स्टेशनों और गाड़ियों में सुरक्षा व्यवस्थाओं में सुधार करें और मजबूत बनाएं।
- अनुरक्षण साइडिंग में रेकों के प्लेसमेंट से पहले और बाद में, आरंभिक गंतव्य स्टेशनों पर अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकना।
- सुनिश्चित करें कि ज्वलनशील सामग्री आवासीय क्षेत्रों से दूर रखी जाती है।
- सुनिश्चित करें कि प्रतिबंधित स्थानों में धूम्रपान नहीं किया जाता है।
- पैसेंजर कोचों और एसएलआर में ज्वलनशील वस्तुएं उदा:- पटाखे, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर आदि को ले जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- सुनिश्चित करें कि मजदूर और फेरीवाले खुले अवन/चूल्हे/स्टोव का उपयोग करते हुए खाना नहीं पका रहे हैं।

र.न. ७२५५५५५२

for Sr DSO/SC

प्रतिलिपि: मंरेप्र/सिकंदराबाद को सूचनार्थ।

अमरेप्र/प्रचा/सिकंदराबाद और अमरेप्र/इन्फ्रा/सिकंदराबाद को सूचनार्थ।

सभी शाखा अधिकारियों को सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए।

सभी फील्ड पर्यवेक्षकों को सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए।